कार्यवाही विवरण	क्रमांक व दिनांक

80/19

[illegible] पत्र हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे पर है। अतः पत्रावली वाले [illegible] कार्यवाही दिनांक 29/8/19 [illegible] पेश हो।

31/7/19

वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र मिसल हमलावरी व दावा विड्रा करने के संबंध पेश की गई। पत्रावली को तलब कर आज पेशी पर लिया गया। वादी ने अपने वाद को विड्रा के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। वादी को दावा विड्रा करने की अनुमति दी जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो तथा वर्ग नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 31.7.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner